



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०)  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226002  
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org



पत्रांक 2727 /241/NULM/Teen/2001/Svanidhi

दिनांक 28-11-2020

समस्त परियोजना अधिकारी,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०।

**विषय:-पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं को डिजिटल पेमेन्ट एग्रीग्रेटर्स द्वारा डिजिटल ऑनबोर्डिंग किये जाने एवं लेनदेन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा० पत्र संख्या-K-12020(3)/1/2020-UPA-III/9095932 दिनांक 03.11.2020 जोकि प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन को सम्बोधित है, के क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित पत्रांक-1736 दिनांक 13.11.2020 एवं आपको पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत पथ विक्रेताओं को डिजिटल ऑनबोर्डिंग किये जाने एवं लेनदेन का प्रशिक्षण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर आपको नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है।


योजना की महत्ता के दृष्टिगत आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत पथ विक्रेताओं का शत-प्रतिशत डिजिटल पेमेन्ट एग्रीग्रेटर्स के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग कराये जाने एवं डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु समस्त ऋण वितरित पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करायें। प्रशिक्षण का कार्य नगर निकाय स्तर पर कराया जाए एवं प्रशिक्षित पथ विक्रेताओं में से एक मास्टर ट्रेनर तैयार कराये। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कैम्पों के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित सावधानियों का पालन कराते हुए करायें। प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री/वीडियो शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा।


शहरी पथ विक्रेताओं को डिजिटल ऑनबोर्डिंग किये जाने, डिजिटल लेनदेन के प्रशिक्षण आदि से संबंधित सूचना संलग्न निर्धारित एक्शल शीट प्रारूप पर प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को susvnulmup@gmail.com पर मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ०प्र०।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।
6. सहायक वेब मास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
% (उमेश प्रताप सिंह) 28/11/2020  
मिशन निदेशक

  
% (उमेश प्रताप सिंह) 28/11/2020  
मिशन निदेशक

ज.प. 28-11-2020

पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं को डिजीटल ऑनबोर्डिंग एवं प्रशिक्षण आदि सूचना हेतु प्रारूप  
दिनांक .....

जनपद का नाम	क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	नगरीय निकाय का स्तर (न0नि0/न0पा0प0/न0प0)	ऋण स्वीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या	ऋण वितरित पथ विक्रेताओं की संख्या	वितरित ऋण को डिजिटल ऑनबोर्डिंग किये गये पथ विक्रेताओं की संख्या	डिजिटल लेनदेन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त पथ विक्रेताओं की संख्या	पथ विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक दिवस कुल लेनदेन किये जाने की औसत संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(नगर निकायों की संख्या के अनुसार पंक्तियाँ बढ़ा लें)